

फर्द अहकाम नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

रणजीत कौर

बनाम

बुटा सिंह

फर्दमा अन्तर्गत धारा:- 212 आर.टी.ए.  
फर्दमा नम्बर:- 68/2024

चक्र:- 10 एफ बड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख जारी हुआ
05.2024	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया गया। वादगत रकबा पर कैविएट दर्ज होने के कारण अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से कैविएटकर्ता अधिवक्ता श्री राजेश गुम्बर को सुना गया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण संख्या 02 के जवाब एवं 01 की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 16.06.2024 को पेश हो।</p>	
16-8-24	<p>दिनांक 16-6-24 को जज द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता द्वारा न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण संख्या 02 के जवाब एवं 01 की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 16.06.2024 को पेश हो।</p>	
17-8-24	<p>वकील द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता द्वारा न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण संख्या 02 के जवाब एवं 01 की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 16.06.2024 को पेश हो।</p>	<p>NOT Proceed by [Signature] [Signature]</p>